


बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक 20.02.2026

संचिका संख्या-08/अ०शि०-09-05/2024 -286/ श्रीमती पूनम कुमारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार, सीतामढ़ी को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 एवं 248 (ग) के तहत दिनांक 05.05.2025 से 31.08.2025 तक कुल 119 दिनों का रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश की प्रविष्टि श्रीमती पूनम कुमारी की सेवा पुस्त में की जायेगी।


(विक्रम विकर)


निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक-08/अ०शि०-09-05/2024 -286/

पटना, दिनांक 20.02.2026

प्रतिलिपि: जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सीतामढ़ी को मूल सेवापुस्त संलग्न करते हुए/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती पूनम कुमारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार, सीतामढ़ी एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक-सेवापुस्त मूल में।



निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

Vikram Virkar

Date: 16-02-2026 13:35:53